

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार
निवारण) अधिनियम, बहराइच।

जे०ओ० कोड संख्या यू०पी० 2735

विशेष दण्डिक वाद संख्या 1257/2024

राज्य

प्रति

अजय कुमार।

थाना को०मुर्तिहा, बहराइच।

आरोप

मैं, पवन कुमार शर्मा-॥, विशेष न्यायाधीश/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम आप अभियुक्त **अजय कुमार** को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ-

1- यह कि दिनांक 11.05.2023 समय करीब 7.30 बजे रात, बहद स्थान ग्राम मुर्तिहा, थाना मुर्तिहा, जनपद बहराइच के अन्तर्गत आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा जुगीलाल को स्वेच्छया मारकर साधारण चोटें पहुंचायी। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा 323 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा को जातिसूचक गालियाँ देकर इस आशय से प्रकोपित किया कि वे लोक शान्ति भंग कर सकता था। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा को भयाक्रान्त करने की नियत से जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार आपने भा०द०सं० की धारा 506 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादी मुकदमा को यह जानते हुए कि वह अनुसूचित जाति का है, के विरुद्ध अपराध किया। इस प्रकार आपका कृत्य धारा 3(1)(द ध) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं, एतद्वारा निर्देश देता हूँ कि उपरोक्त विरचित आरोपों के सम्बन्ध में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

(पवन कुमार शर्मा-॥)

दिनांक 25-06-2026

विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

अभियुक्त को उक्त आरोप पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये जिससे इन्कार करते हुए विचारण की माँग की गयी।

(पवन कुमार शर्मा-॥)

दिनांक 25-06-2026

विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार
निवारण) अधिनियम, बहराइच।

विशेष दायित्विक वाद संख्या 1257/2024

राज्य

प्रति

अजय कुमार।

थाना को०मुर्तिहा, बहराइच।

25-06-2026

मुकदमा पुकारा गया। पुकार पर अभियुक्त **अजय कुमार** मय अधिवक्ता उपस्थित।
अभियुक्त को धारा 230 बी.एन.एस.एस.(207 द०प्र०सं०) के अनुपालन में नकले प्रदान की गयी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अपना कथन आरम्भ करते
हुए अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले साक्ष्य का उल्लेख किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पर
सम्यक विचार करने के उपरान्त मैं, इस मत का हूँ कि अभियुक्त **अजय कुमार** के विरुद्ध
भा०द०सं० की धारा 323, 504, 506 एवं धारा 3(1)(द ध) एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत
आरोप विरचित करने के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है, तदनुसार अभियुक्त के विरुद्ध आरोप
विरचित किया जाये।

पत्रावली दिनांक 10.07.2026 को अभियोजन साक्ष्य हेतु प्रस्तुत हो। आरोप पत्र
के क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित अभियोजन साक्षीगण उक्त तिथि के लिए जरिए सम्मन आहूत हो।

(पवन कुमार शर्मा-॥)

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।